#### 1 extstyle extstyle

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 73 / 2011

प्रकरण कमाक 73 / 2011 संस्थापित दिनांक 14 / 02 / 2011 फाइलिंग नं.230303003852011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>......</u> अभियोजन

#### बनाम

- 1. रणवीर सिंह पुत्र फूलसिंह गुर्जर उम्र 65 वर्ष
- 2. योगेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष
- 3. नरेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासीगण— ग्राम आलौरी हाल वार्ड क्रमांक 2 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

आरोपीगण पर दिनांक 07.03.2010 को दिन के लगभग 11 बजे फरियादी प्रेम सिंह के खेत मौजा आलौरी में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी प्रेमसिंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने व फरियादी प्रेमसिंह व ब्रजेन्द्र सिंह को जाने से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित करने, फरियादी प्रेमसिंह के आधिपत्य से उसकी सरसों की फसल उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने एवं उसी समय उपेक्षा एवं उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानव जीवन एवं फरियादी प्रेमसिंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करते हुए भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग—2, 379 एवं 336 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2010 को फरियादी प्रेमिसंह दिन के लगभग 4 बजे अपने खेत में सरसों की फसल काटने गया था। वह सरसों काट रहा था। तभी आरोपी रणवीर, योगेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह एवं जय सिंह टेक्टर लेकर बंदूक सिंहत आ गए थे। आरोपीगण ने गोली चलाई थी एवं द्रोली लेकर आए थे तथा सरसों भर कर ले गए थे। जो सरसों आरोपीगण भर कर ले गए थे, वह ब्रजेन्द्र सिंह की थी। उसका सर्वे क्रमांक 2242 एवं 2243 है। उसकी सरसों की फसल भी ले गए थे। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में एस0डी0ओ0पी0 महोदय गोहद को

लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन की जांच की गई थी एवं जांच के पश्चात अपराध सिद्ध पाए जाने पर पुलिस थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 86 / 10 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित आरोप से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झुंठा फंसाया गया है ।

### 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.03.2010 को दिन के लगभग 11 बजे फरियादी प्रेमिसंह के खेत मौजा आलौरी में सर्वजिनक स्थल पर फरियादी प्रेमिसंह व ब्रजेन्द्र सिंह को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें वे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी प्रेमिसंह व ब्रजेन्द्र सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- 3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानव जीवन एवं फिरयादी प्रेमिसंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?
- 4. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी प्रेमिसंह के आधिपत्य से उसकी सरसों की फसल उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से लेकर चोरी कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र चंदनसिंह अ0सा0 1 साक्षी ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र रतीराम अ0सा0 2 सेवा निवृत्त प्रधान आरक्षक हरीप्रकाश दुबे अ0सा0 3, बल्लू घुरईया अ0सा0 4, एवं पटवारी अमर सिंह कोरकू अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है. जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

# <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 एवं 4

- 7. साक्ष्य की पृनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र चंदन सिंह अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 7–8 साल पाहले की है । वह अपने खेत सर्वे क्रमांक 2242 एवं 2243 में मजदूरों के साथ फसल काट रहा

था। रणवीर, योगेन्द्र, नरेन्द्र एवं जय सिंह आए थे। उनके पास बंदूक थी वे लोग टेक्टर द्रोली से आए थे। आरोपीगण ने गोली चलाना शुरू कर दिया तो वे लोग वहां से भागे थे। आरोपीगण सरसों की फसल भरकर ले गए थे फिर उसने थाने में जाकर रिपोर्ट की थी। आवेदन प्र0पी0 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रणवीर सिंह ने दिनांक 04.10.2003 को उसके भतीजे लाखन सिंह, ब्रजेन्द्र सिंह, सुघर सिंह एवं मातादीन के विरूद्ध फसल चोरी की रिपोर्ट की थी उस रिपोर्ट से गोहद न्यायालय में प्रकरण चला था। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे याद नहीं है कि घटना कौन सी तारीख महीना व दिन की है। पदक्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण से घटना के समय मुंहबाद नहीं हुआ था। उन्होंने आते ही गोली बारी शुरू कर दी थी। उसने थाने में लिखित रिपोर्ट की थी। आवेदन उसने गोहद थाने में बैठकर अपने हाथ से लिखा था।

- साक्षी ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र रतीराम अ०सा० २ एवं बल्लू घुरईया अ०सा० ४ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी। घोषित कर सूचक पूश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
- साक्षी अमरसिंह कोरकू अ०सा० 5 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने थाना प्रभारी गोहद को यह जानकारी दी थी कि आरोपी जय सिंह की राजश्व अभिलेख में कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। उक्त जानकारी प्र0पी० 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- सेवा निवृत्त प्रधान आरक्षक हरीप्रकाश द्बे अ०सा० ३ द्वारा जांच रिपोर्ट प्र०पी० ३ को एवं विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी प्रेमसिंह की मृत्यू हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी के कथन नहीं कराए जा सके। शेष साक्षी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० २ एवं बल्लू घुरईया अ०सा० 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। आरोपीगण के विरूद्ध मात्र ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 2 के कथन शेष हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्षमता से अवलोकन किया जाना आवश्यक है।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार प्र0पी0 1 का आवेदन फरियादी प्रेमसिंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र चंदन सिंह द्वारा सम्मलित रूप से दिया गया था। फरियादी प्रेमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र चंदन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह अपने खेत सर्वे क्रमांक 2242 एवं 2243 में मजदूरों के साथ फसल काट रहा था तभी रणवीर सिंह, नरेन्द्र सिंह एवं जय सिंह आए थे। आरोपीगण के पास बंदूकें थीं।आरोपीगण टेक्टर द्रोली से आए थे। आरोपीगण ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था तो वे लोग भाग गए थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण उसकी सरसों की फसल भरकर ले गए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना के समय मूंहवाद नहीं हुआ था। आरोपीगण ने आते ही गोलीबारी शुरू कर दी थी।
- इस प्रकार फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरक्षीण के दौरान स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपीगण से मुंहवाद नहीं हुआ था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने मौके पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थीं, परंतु प्रकरण में पुलिस द्वारा घटना स्थल से चले हुए कारतूस जप्त नहीं किए गए, आरोपीगण से बंदूकें भी जप्त नहीं हुई हैं। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

16

- 16. फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 ने आरोपीगण द्वारा गोली चलाना बताया है, परंतु न तो पुलिस द्वारा आरोपीगण से बंदूकें जप्त की गई हैं और न ही मौके पर से चले हुए कारतूस जप्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपीगण द्वारा मौकेपर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से बंदूक से हवाई फायर कर फरियादी का जीवन संकटापन्न किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि आरोपीगण ने गोली चलाना शुरू कर दीं थी, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा गोली चलाने से उन्हें भय कारित हुआ था अथव उनका जीवन संकटापन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में भा०द०सं० की धारा 336 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 17. फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपीगण मौकेपर टेक्टर द्रोली से आए थे तथा उनकी सरसों की फसल भर कर ले गए थे, परंतु प्रकरण में आरोपीगण से न तो कथित अपराध में प्रयुक्त टेक्टर द्रोली जप्त की गई है और न हीं सरसों की फसल जप्त की गई है। आरोपीगण से सरसों की जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपीगण द्वारा सरसों की फसल चोरी की गई थी।
- 18. यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के विरुद्ध मां—बहन की अश्लील गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में भी आरोप विरचित किये गए हैं, परंतु फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ0सा0 1 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं किया गया है। फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी अथवा अश्लील शब्द उच्चरित किए थे। फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ0सा0 1 उक्त बिंदु पर मौन रहा है। फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ0सा0 1 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 19. फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा गोलियां चलाना एवं टेक्टर द्रोली में सरसों की फसल भर कर ले जाना बताया है, परंतु साक्षी ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र रतीराम अ०सा० 2 एवं बल्लू घुरईया अ०सा० 4 द्वारा फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 के उक्त कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। प्रकरण में आरोपीगण से बंदूक, टेक्टर द्रोली अथवा सरसों की जप्ती नहीं की गई है, घटना स्थल से चले हुए कारतूस भी जप्त नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी हरीप्रकाश दुबे अ०सा० 3 एवं अमरसिंह कोरकू अ०सा० 5 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी ब्रजेन्द्र सिंह अ०सा० 1 की एकल असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 20. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.03.2010 को दिन के लगभग 11 बजे फरियादी प्रेम सिंह के खेत मौजा आलौरी में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी प्रेमसिंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी प्रेमसिंह व ब्रजेन्द्र सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी प्रेमसिंह के आधिपत्य से उसकी सरसों की फसल उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की एवं उसी समय उपेक्षा एवं उतावलेपन से अपनी बंद्रक से हवाई फायर कर मानव जीवन एवं फरियादी

## 5 आपराधिक प्रकरण कमांक 73/2011 ईफौ

प्रेमिसंह एवं ब्रजेन्द्र सिंह का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी रणवीर सिंह, नरेन्द्रसिंह एवं यागेन्द्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग–2, 379 एवं 336 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

- 22. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 23. प्रकरण में आरोपी जय सिंह फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 08 /05 /2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय मेंघोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

